

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अधिघोषणा

पत्रांक संख्या- १५/डी० एल० ए० (एस०एच०-८७)सीतामढ़ी १५७/१३-२७६२/रा०,पटना, दिनांक-०३-१२-१३

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- बीरख, थाना नं०-३१, थाना-पुपरी, अंचल- सुरसण्ड, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से बिसवा राज्य उच्च पथ सं०-८७ के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- बीरख, थाना नं०-३१, थाना-पुपरी, अंचल- सुरसण्ड, जिला-सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कर्माबेस ०.०८५ हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

अर्जनाधीन खेसरा संख्या-	१३६२अंश	२३४६अंश	१३७८अंश	१३७९अंश	१३८०अंश	२३४४अंश	२३४३अंश	२३३१अंश	२३३०अंश
	२३२५अंश	२३२४अंश	२३२३अंश	२३२२अंश	२३१४अंश	२३१३अंश	२३११अंश	२३१२अंश	२३१०अंश
	२२५३अंश	२२५१अंश	२२४७अंश	२२४३अंश	२२४२अंश एवं २२४१ का अंश रकबा				

चौहद्दी

उत्तर - सुरसण्ड रोड
दक्षिण - रोड
पूरब - ३७४५, २३३९, २३६५, २३, ४४, २३४३, २३३१, २३३०, २२४, २३२३, २३२५, २३२२, २३१४, २३१३, २३१२, २२५३, २२५२, २२४३, २२४२ एवं २२४१ का अंश
पश्चिम - १३६२, १३४६ एवं १३२१ का अंश

यह घोषणा अधिनियम १, १८९४ की धारा ६ के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम ११ सन् १९६१ द्वारा संशोधित हुए उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

समाहर्ता
सीतामढ़ी

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक संख्या- १५/डी० एल० ए० (एस०एच०-८७)सीतामढ़ी १५७/१३-२७६२/रा०,पटना, दिनांक-०३-१२-१३

प्रतिलिपि- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की १० (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- समाहर्ता /अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्ता
सीतामढ़ी

सरकार के अवर सचिव